<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

02 अगस्त 2022

खुले खाद्य तेलों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है।

एक से 14 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान में खाद्य तेलों में की जा रही मिलावट और हाइड्रोजनीकृत खाद्य तेल में ट्रांस फैट की मौजूदगी की भी जांच की जाएगी। साथ ही बिना उचित लेबलिंग के बहु स्रोत खाद्य तेलों की बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को बाजार में जगह-जगह बेचे जा रहे ऐसे खाद्य तेल उत्पादों के नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि संकलन इस तरह से किया जाए ताकि उनमें सभी खाद्य व्यापारियों और ब्रांड के नमूने शामिल हों।

अभियान की प्रगति की निगरानी दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी ताकि 14 अगस्त यह सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

खुले खाद्य तेलों की बिक्री के मामले में जब्ती खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों और नियमों/विनियमों के अनुसार मौके पर की जाएगी। साथ ही अगर कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित खाद्य बिक्रेता या ब्रांड के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य तेलों, वनस्पति और बहु स्रोत खाद्य तेलों की बिक्री के 279 नूमने निरीक्षण के लिए गए हैं।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

ई: sharmaruchika.21@gmail.com